

उपायुक्त का कार्यालय(गोपनीय शाखा), रामगढ ।

आदेश

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत अपर समाहर्ता, रामगढ को जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम का विशेष नोडल पदाधिकारी (तम्बाकू नियंत्रण) नामित किया जाता है। जिले के सभी विभागों के पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम का जिले में सफल संचालन कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही रामगढ जिले को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करेंगे। यह आदेश तत्कालीक प्रभाव से लागू होगा।

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय
समिति, रामगढ ।

ज्ञापांक.....07(CS) / रामगढ दिनांक.....11/01/2017

प्रतिलिपि :

सभी नामित सदस्यों/सभी चिकित्सा पदाधिकारी प्रखंड स्वास्थ्य केन्द्र, जिला रामगढ /जिला शिक्षा पदाधिकारी रामगढ /उपाधीक्षक सदर अस्पताल, रामगढ /जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, रामगढ / /सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, रामगढ . जिला अन्तर्गत/सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, रामगढ /जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, रामगढ / सभी कार्यालय प्रधान, रामगढ जिला अन्तर्गत/श्रम अधीक्षक, रामगढ /पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), रामगढ , जिला नोडल पदाधिकारी, तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, रामगढ,/अनुमंडल पदाधिकारी, रामगढ/ असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, रामगढ /उप-विकास आयुक्त, रामगढ / पुलिस अधीक्षक, रामगढ को सूचनार्थ प्रेषित।

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय
समिति, रामगढ ।

ज्ञापांक.....07(CS) / रामगढ दिनांक.....11/01/2017

प्रतिलिपि :

श्री दीपक मिश्रा, कार्यपालक निदेशक, Socio Economic and Educational Development Society (SEEDS) एवं श्री आशीष पाण्डे, तकनीकी सलाहकार The Union, New Delhi को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि :

राज्य नोडल पदाधिकारी, एन0सी0डी0 सेल, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :

अभियान निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :

अपर मुख्य सचिव, स्वा0चि0 एवं शि0 प0क0 विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय
समिति, रामगढ ।

उपायुक्त का कार्यालय(गोपनीय शाखा), रामगढ ।

9

अधिसूचना

सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिशोध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम Cigarettes and other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce Production, Supply and Distribution Act 2003 (COTPA-2003) को रामगढ जिला में प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या 16/NTPC/13 राँची दिनांक 09.05.2013 के आलोक में उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, रामगढ की अध्यक्षता में जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति District Tobacco Control Coordination Committee (DTCCC) का गठन इस कार्यालय के पत्रांक 03(3)(NCD) रामगढ, दिनांक:- 11/01/12 द्वारा किया जाता है। निम्न पदाधिकारियों को जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति के सदस्यों के रूप में नामित किया जाता है।


1. उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, रामगढ	:	अध्यक्ष
2. जिला पुलिस अधीक्षक, रामगढ	:	सदस्य
3. असेनिक भाल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चि0 पदा0, रामगढ	:	सदस्य सचिव
4. अपर समाहर्ता-सह-विशेष नोडल पदा0, तंबाकू नियंत्रण रामगढ :	:	सदस्य-सह-मुख्य समन्वयक
5. उप-विकास आयुक्त, रामगढ	:	सदस्य
6. जिला नोडल पदा0, तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, रामगढ	:	सदस्य-सह-समन्वयक
7. उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, रामगढ	:	सदस्य
8. अपर मुख्य चिकित्सा पदा0, रामगढ	:	सदस्य
9. जिला शिक्षा पदाधिकारी, रामगढ	:	सदस्य
10. जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, रामगढ	:	सदस्य
11. जिला परिवहन पदाधिकारी, रामगढ	:	सदस्य
12. जिला खाद्य सुरक्षा पदा0 रामगढ	:	सदस्य
13. औशधि निरीक्षक, रामगढ	:	सदस्य
14. अध्यक्ष, आई0एम0ए0, रामगढ	:	सदस्य
15. सचिव, भारतीय रेडक्रॉस समिति, रामगढ	:	सदस्य
16. सचिव, रोटरी क्लब, रामगढ	:	सदस्य
17. प्रतिनिधि, सोसियो इकानोमिक एण्ड ऐजुकेशनल डेवलपमेंट सोसायटी (सीड्स)	:	सदस्य
18. प्राचार्य, रामगढ कॉलेज, रामगढ	:	सदस्य

उक्त समिति तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम से संबंधित विभिन्न कार्यों का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण करेगी जो निम्नलिखित हैं:-

- COTPA -2003 को पूरे रामगढ जिले में प्रभावी रूप से लागू करवाने, चालान (दण्ड) व्यवस्था भुरू करने तथा मूल्यांकन तथा अनुश्रवण में सहयोग करना।
- तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम से संबंधित कार्यों का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हो ताकि केन्द्र सरकार के निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित हो पाये।
- रामगढ जिले/प्रखण्डों की अनुश्रवण/रहनुमाई समिति का गठन तथा उसकी बैठक नियमित रूप से त्रैमासिक अंतराल पर आयोजित किया जाना है।
- यह सुनिश्चित करना कि अधिकृत अधिकारी अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से अनुपालन कर रहे हैं तथा उनके द्वारा तम्बाकू नियंत्रण से संबंधित कितने मामले में फैसला लिया गया है।
- तंबाकू संबंधित मामले पर निर्णय लेना तथा प्रखण्ड स्तरीय समिति को सुझाव एवं मार्गदर्शन देना।
- भारतीय तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम की धारा 4,5,6 एवं 7 के उल्लंघन के विशिष्ट मामलों में कार्रवाई करना तथा राज्य/जिला स्तरीय समिति को सूचित करना।
- DTCCC की त्रैमासिक मनोनीत सदस्यों की बैठक सुनिश्चित करना।


जिन्दगी चुनें तम्बाकू नहीं

- तम्बाकू और संबद्ध उत्पादों के प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष @surrogate विज्ञापन के बारे में शिकायत दर्ज कराने हेतु आम जनता को अवसर प्रदान करना तथा प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करना।


उपायुक्त-सह-अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय
समिति, रामगढ़।


ज्ञापांक 03 (CS) / रामगढ़, दिनांक 11/01/2017.

प्रतिलिपि : सभी नामित सदस्यों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित


उपायुक्त-सह-अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय
समिति, रामगढ़।

ज्ञापांक 03 (CS) / रामगढ़ दिनांक 11/01/2017.

- प्रतिलिपि : श्री दीपक मिश्रा, कार्यपालक निदेशक, Socio Economic and Educational Development Society (SEEDS) एवं श्री आशीश पाण्डे, तकनीकी सलाहकार The Union, New Delhi को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : राज्य नोडल पदाधिकारी, एन0सी0डी0 सेल, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : अभियान निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, स्वा0चि0 एवं शि0 प0क0 विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।


उपायुक्त-सह-अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय
समिति, रामगढ़।

+

उपायुक्त का कार्यालय(गोपनीय शाखा), रामगढ ।

आदेश

तम्बाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। इसलिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 11.01.2017 को जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग, रामगढ एवं सोशियो इकोनॉमिक एण्ड एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाईटी (सीड्स) के संयुक्त तत्वावधान में जिला स्तरीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में लिए गए निर्णय के अनुसार सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम **COTPA-2003** के विभिन्न धाराओं के अनुपालनार्थ **जिला स्तरीय छापामार दस्ते** का गठन किया जाता है। यह दस्ता सार्वजनिक स्थलों, सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय परिक्षेत्र, शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य संस्थानों एवं तम्बाकू उत्पाद विक्रय स्थलों की मॉनिटरिंग कर **उल्लंघनकर्ता पर नियमानुसार चालान/जुर्माना (रूपये 200/- तक)** की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगी।

जिला स्तरीय छापामार दस्ता में निम्नलिखित पदाधिकारी रहेंगे:-

1. अपर समाहर्ता-सह-विशेष नोडल पदा०,तंबाकू नियंत्रण	-	अध्यक्ष
2. आरक्षी उपाधीक्षक (मुख्यालय)	-	सदस्य
3. जिला परिवहन पदाधिकारी	-	सदस्य
4. जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी	-	सदस्य
5. औषधि निरीक्षक	-	सदस्य
6. जिला शिक्षा पदाधिकारी	-	सदस्य
7. जिला कार्यक्रम प्रबंधक (जिला स्वास्थ्य समिति)	-	सदस्य
8. श्रम अधीक्षक, रामगढ	-	सदस्य
9. संबंधित थानाध्यक्ष	-	सदस्य
10. जिला नोडल पदाधिकारी (तम्बाकू नियंत्रण)	-	समन्वयक

जिला नोडल पदाधिकारी तम्बाकू नियंत्रण इस छापामार दस्ते के साथ समन्वय स्थापित कर सप्ताह में कम से कम एक बार छापामारी की प्रक्रिया को क्रियान्वित करेंगे। साथ ही प्रत्येक महिने के प्रथम सप्ताह में इसका प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करना सुनिश्चित करेंगे।

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष

जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय
समिति, रामगढ ।

ज्ञापांक 10 (CS) / रामगढ दिनांक 16/01/2017

प्रतिलिपि : सभी नामित सदस्यों/सभी चिकित्सा पदाधिकारी प्रखंड स्वास्थ्य केन्द्र, जिला रामगढ /जिला शिक्षा पदाधिकारी रामगढ /उपाधीक्षक सदर अस्पताल, रामगढ /जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, रामगढ /सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, रामगढ जिला अन्तर्गत/सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, रामगढ /जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, रामगढ / सभी कार्यालय प्रधान, रामगढ जिला अन्तर्गत/श्रम अधीक्षक, रामगढ /पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), रामगढ / जिला नोडल पदाधिकारी, तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, रामगढ,/अनुमंडल पदाधिकारी, रामगढ/ असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, रामगढ /उप-विकास आयुक्त, रामगढ / पुलिस अधीक्षक, रामगढ को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, रामगढ को निदेशित किया जाता है कि इस आदेश को जिला स्तर पर विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करेंगे।

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष

जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय
समिति, रामगढ ।

ज्ञापांक 10 (CS) / रामगढ दिनांक 16/01/2017

- तल्लिपि : श्री दीपक मिश्रा, कार्यपालक निदेशक, Socio Economic and Educational Development Society (SEEDS) एवं श्री आशीष पाण्डे, तकनीकी सलाहकार The Union, New Delhi को सूचनार्थ प्रेषित ।
- प्रतिलिपि : राज्य नोडल पदाधिकारी, एन0सी0डी0 सेल, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित ।
- प्रतिलिपि : अभियान निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित ।
- प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, स्वा0चि0 एवं शि0 प0क0 विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय
समिति, रामगढ ।

उपायुक्त का कार्यालय(गोपनीय शाखा), रामगढ ।

आदेश

तम्बाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। इसलिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 11.01.2017 को जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग, रामगढ एवं सोशियो इकोनॉमिक एण्ड एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाईटी (सीडस) के संयुक्त तत्वावधान में जिला स्तरीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में लिए गए निर्णय के अनुसार सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के विभिन्न धाराओं के अनुपालनार्थ अनुमंडल स्तरीय छापामार दस्ते का गठन किया जाता है। यह दस्ता सार्वजनिक स्थलों, सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय परिक्षेत्र, शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य संस्थानों एवं तम्बाकू उत्पाद विक्रय स्थलों की मॉनिटरिंग कर उल्लंघनकर्ता पर नियमानुसार चालान/जुर्माना (रूपये 200/- तक) की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगी।

अनुमंडल स्तरीय छापामार दस्ता में निम्नलिखित पदाधिकारी रहेंगे :-

- | | | |
|---|---|---------|
| 1. अनुमंडल पदाधिकारी | - | अध्यक्ष |
| 2. अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी | - | सदस्य |
| 3. कार्यपालक दण्डाधिकारी | - | सदस्य |
| 4. अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी | - | सदस्य |
| 5. प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडल मुख्यालय | - | समन्वयक |
| 6. अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी | - | सदस्य |
| 7. संबंधित थानाध्यक्ष | - | सदस्य |

संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी अपने अपने कार्यक्षेत्र में उक्त छापामार दस्ते के द्वारा प्रत्येक सप्ताह में कम से कम एक बार छापामारी की प्रक्रिया को क्रियान्वित कराते हुए प्रत्येक महिने के प्रथम सप्ताह में इसका प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को प्रतिवेदित करना सुनिश्चित करेंगे। इस काम में अनुमंडल पदाधिकारी अनुमंडल स्तरीय अन्य पदाधिकारियों की भी सेवायें लें सकेंगे।

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष

जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय
समिति, रामगढ ।

ज्ञापांक 09 (CS) / रामगढ दिनांक 16/01/2017

प्रतिलिपि : सभी नामित सदस्यों/सभी चिकित्सा पदाधिकारी प्रखंड स्वास्थ्य केन्द्र, जिला रामगढ /जिला शिक्षा पदाधिकारी रामगढ /उपाधीक्षक सदर अस्पताल, रामगढ /जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, रामगढ /सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, रामगढ जिला अर्न्तगत/सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, रामगढ /जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, रामगढ / सभी कार्यालय प्रधान, रामगढ जिला अर्न्तगत/श्रम अधीक्षक, रामगढ /पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), रामगढ / जिला नोडल पदाधिकारी, तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, रामगढ, अनुमंडल पदाधिकारी, रामगढ/ असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, रामगढ /उप-विकास आयुक्त, रामगढ / पुलिस अधीक्षक, रामगढ को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, रामगढ को निदेशित किया जाता है कि इस आदेश को जिला स्तर पर विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करेंगे।

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष

जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय
समिति, रामगढ ।

ज्ञापांक 09 (CS) / रामगढ दिनांक 16/01/2017

- लिपि : श्री दीपक मिश्रा, कार्यपालक निदेशक, Socio Economic and Educational Development Society (SEEDS) एवं श्री आशीष पाण्डे, तकनीकी सलाहकार The Union, New Delhi को सूचनार्थ प्रेषित ।
- प्रतिलिपि : राज्य नोडल पदाधिकारी, एन0सी0डी0 सेल, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित ।
- प्रतिलिपि : अभियान निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित ।
- प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, स्वा0चि0 एवं शि0 प0क0 विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेषित ।

16/1/17
 उपायुक्त-सह-अध्यक्ष
 जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय
 समिति, रामगढ़ ।

उपायुक्त का कार्यालय(गोपनीय शाखा), रामगढ ।

आदेश

तम्बाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। इसलिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 11.01.2017 को जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग, रामगढ एवं सोशियो इकोनॉमिक एण्ड एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाईटी (सीड्स) के संयुक्त तत्वावधान में जिला स्तरीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में लिए गए निर्णय के अनुसार सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के विभिन्न धाराओं के अनुपालनार्थ प्रखंड स्तरीय छापामार दस्ते का गठन किया जाता है। यह दस्ता जो सार्वजनिक स्थलों, सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय परिक्षेत्र, शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य संस्थानों एवं तम्बाकू उत्पाद विक्रय स्थलों की मॉनिटरिंग कर उल्लंघनकर्ता पर नियमानुसार चालान/जुर्माना (रूपये 200/- तक) की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगी।

प्रखंड स्तरीय छापामार दस्ता में निम्नलिखित पदाधिकारी रहेंगे :-

- | | | |
|-----------------------------------|---|--------------|
| 1. प्रखंड विकास पदाधिकारी | - | अध्यक्ष |
| 2. प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी | - | सन्वयक सदस्य |
| 3. प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी | - | सदस्य |
| 4. श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी | - | सदस्य |
| 5. प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक | - | सदस्य |
| 6. संबंधित थानाध्यक्ष | - | सदस्य |

संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने अपने कार्यक्षेत्र में इस छापामार दस्ते के द्वारा प्रत्येक सप्ताह में कम से कम एक बार छापामारी की प्रक्रिया को क्रियान्वित कराते हुए प्रत्येक महीने के प्रथम सप्ताह में इसका प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करना सुनिश्चित करेंगे। वे आवश्यकतानुसार अंचलाधिकारी/बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को भी अध्यक्ष के रूप में प्रतिनियुक्त कर सकेंगे। साथ ही उनके द्वारा प्रखंड स्तरीय अन्य पदाधिकारियों की भी सेवायें ली जा सकेंगी।

R. 16/1/17

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय
समिति, रामगढ ।

ज्ञापांक.....11 (CS)..... / रामगढ दिनांक.....16/01/2017.....

प्रतिलिपि :

सभी नामित सदस्यों/सभी चिकित्सा पदाधिकारी प्रखंड स्वास्थ्य केन्द्र, जिला रामगढ /जिला शिक्षा पदाधिकारी रामगढ /उपाधीक्षक सदर अस्पताल, रामगढ /जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, रामगढ /सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, रामगढ जिला अर्न्तगत/सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, रामगढ /जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, रामगढ / सभी कार्यालय प्रधान, रामगढ जिला अर्न्तगत/श्रम अधीक्षक, रामगढ /पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), रामगढ / जिला नोडल पदाधिकारी, तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, रामगढ,/अनुमंडल पदाधिकारी, रामगढ/ असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, रामगढ /उप-विकास आयुक्त, रामगढ / पुलिस अधीक्षक, रामगढ को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :


जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, रामगढ को निदेशित किया जाता है कि इस आदेश को जिला स्तर पर विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करेंगे।

R. 16/1/17

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय
समिति, रामगढ ।

ज्ञापांक 11 (CS) / रामगढ दिनांक 16/11/2017

- प्रतिलिपि : श्री दीपक मिश्रा, कार्यपालक निदेशक, Socio Economic and Educational Development Society (SEEDS) एवं श्री आशीष पाण्डे, तकनीकी सलाहकार The Union, New Delhi को सूचनार्थ प्रेषित ।
- प्रतिलिपि : राज्य नोडल पदाधिकारी, एन0सी0डी0 सेल, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित ।
- प्रतिलिपि : अभियान निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित ।
- प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, स्वा0चि0 एवं शि0 प0क0 विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेषित ।



उपायुक्त-सह-अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय
समिति, रामगढ ।

उपायुक्त का कार्यालय(गोपनीय शाखा), रामगढ ।

④

आदेश

सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना अपराध है। उल्लेखनीय है कि धूम्रपान से मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है इसलिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के धारा (4) के अनुसार सभी सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना निषेध है, लेकिन अभी भी आम जनता जानकारी और कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के अभाव में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करते हैं।

जिले के सभी सार्वजनिक स्थलों यथा-बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, मनोरंजन केन्द्र, पुस्तकालय, शापिंग मॉल, कॉफी हाउस, न्यायालय परिसर, सभाकक्ष, प्रतिकालय, टी स्टॉल, मिष्ठान भंडार, ढाबा, सभी सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय, सभी सरकारी/गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थान, सभी सरकारी/गैर सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र/अस्पताल, सिनेमा हॉल, होटल/ रेस्टोरेन्ट, पंचायत भवन, चौक एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है। यदि सार्वजनिक स्थानों पर कोई व्यक्ति धूम्रपान करते पाया जाता है तो भारतीय तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम, 2003 की धारा 4 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, अल्लंघनकर्ता को रुपये 200/- तक जुर्माना किया जाएगा। बोर्ड का प्रारूप निम्नांकित है :-

60बउग30बउ



**धूम्रपान रहित क्षेत्र,
यहाँ धूम्रपान करना
एक अपराध है।**

उल्लंघन करने पर 200/- रुपये तक जुर्माना किया जाएगा।

60बउग15बउ

अगर आप को कोई भी व्यक्ति धूम्रपान करते बिखाई वेता है तो कृपया निम्न अधिकारी को शिकायत करें।


1. श्री / श्रीमती.....
2. पदनाम.....
3. फोन / मोबाईल न.

अतः चालान के द्वारा अधिकतम 200 रु0 तक दंड की व्यवस्था के सुचारु रूप से कार्यान्वयन के लिए सभी अधिकृत पदाधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि अपने-अपने कार्य क्षेत्र में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के धारा (4) के तहत उल्लंघन करने वाले को 200 रु0 तक दंडित करना एवं सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध का बोर्ड लगवाना सुनिश्चित करेंगे। साथ में

जिन्दगी चुनें तम्बाकू नहीं

प्रत्येक महिने के प्रथम सप्ताह में उक्त कार्यवाही का प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को देना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी प्रकार की त्रुटि पाई गयी तो इसके लिए संबंधित अधिकारी उत्तरदायी रहेंगे।


यह आदेश तत्कालीक प्रभाव से लागू होगा।


उपायुक्त-सह-अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय
समिति, रामगढ ।

ज्ञापांक.....04 (CS)..... / रामगढ , दिनांक.....11/01/2017.....

प्रतिलिपि : सभी नामित सदस्यों/सभी चिकित्सा पदाधिकारी प्रखंड स्वास्थ्य केन्द्र, जिला रामगढ /जिला शिक्षा पदाधिकारी रामगढ /उपाधीक्षक सदर अस्पताल, रामगढ /जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, रामगढ / /सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, रामगढ जिला अर्न्तगत/सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, रामगढ /जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, रामगढ / सभी कार्यालय प्रधान, रामगढ जिला अर्न्तगत/श्रम अधीक्षक, रामगढ /पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), रामगढ , जिला नोडल पदाधिकारी, तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, रामगढ,/अनुमंडल पदाधिकारी, रामगढ/ असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, रामगढ /उप-विकास आयुक्त, रामगढ / पुलिस अधीक्षक, रामगढ को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, रामगढ को निदेशित किया जाता है कि इस आदेश को जिला स्तर पर विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार-प्रसार कराना और समाहरणालय परिसर एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर इस आशय का बोर्ड/होर्डिंग लगवाना सुनिश्चित करेंगे।


उपायुक्त-सह-अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय
समिति, रामगढ ।


ज्ञापांक.....04 (CS)..... / रामगढ दिनांक.....11/01/2017.....

प्रतिलिपि : श्री दीपक मिश्रा, कार्यपालक निदेशक, Socio Economic and Educational Development Society (SEEDS) एवं श्री आशीश पाण्डे, तकनीकी सलाहकार The Union, New Delhi को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि : राज्य नोडल पदाधिकारी, एन0सी0डी0 सेल, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अभियान निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, स्वा0चि0 एवं शि0 प0क0 विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।


उपायुक्त-सह-अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय
समिति, रामगढ ।

उपायुक्त का कार्यालय(गोपनीय शाखा), रामगढ । ③

आदेश

रामगढ जिला के कई स्थानों पर तंबाकू उत्पाद यथा सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, जर्दा एवं खैनी का प्रचार-प्रसार बैनर्स/पोस्टर्स/होर्डिंग्स/दिवाल लेखन इत्यादि के माध्यम से किया जा रहा है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003, के धारा 5(1) एवं 5(3) के अनुसार किसी भी तंबाकू पदार्थों के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर पूर्ण प्रतिबन्ध है। अधिनियम की धारा 21 के अनुसार "धारा 5 का उल्लंघन करने पर दो वर्ष का कारावास/रूपये 1000/- (रूपये एक हजार) का आर्थिक दण्ड अथवा दोनों का प्रावधान है"।

अतः सभी संबंधित एजेंसियों/संस्थाओं/दुकानदारों/व्यक्तियों को निदेश दिया जाता है कि किसी भी तंबाकू उत्पाद यथा सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, जर्दा एवं खैनी का बैनर्स/पोस्टर्स/होर्डिंग्स/दिवाल लेखन इत्यादि के माध्यम से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में प्रचार-प्रसार करना बंद करें एवं रामगढ जिला में लगाये गये इस तरह के बैनर्स/पोस्टर्स/होर्डिंग्स/दिवाल लेखन इत्यादि को तत्काल प्रभाव से हटाये जायें अन्यथा विधि संवत कार्रवाई की जा सकती है।

यह आदेश तत्कालीक प्रभाव से लागू होगा।

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय
समिति, रामगढ ।

प्रतिलिपि : रामगढ जिला के सभी संबंधित एजेंसियों/संस्थाओं/तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले
दुकानदारों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित ।
प्रतिलिपि : प्रशासक, रामगढ नगर निगम, रामगढ को सूचनार्थ एवं आव यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक..... 05 (CS) / रामगढ दिनांक..... 11/01/2012.

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय
समिति, रामगढ ।

ज्ञापांक..... / रामगढ दिनांक.....
प्रतिलिपि : सभी नामित सदस्यों/सभी चिकित्सा पदाधिकारी प्रखंड स्वास्थ्य केन्द्र, जिला रामगढ /जिला शिक्षा पदाधिकारी रामगढ /उपाधीक्षक सदर अस्पताल, रामगढ /जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, रामगढ / सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, रामगढ जिला अन्तर्गत/सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, रामगढ /जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, रामगढ / सभी कार्यालय प्रधान, रामगढ जिला अन्तर्गत/श्रम अधीक्षक, रामगढ /पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), रामगढ , जिला नोडल पदाधिकारी, तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, रामगढ,/अनुमंडल पदाधिकारी, रामगढ/ असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, रामगढ /उप-विकास आयुक्त, रामगढ / पुलिस अधीक्षक, रामगढ को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, रामगढ को निदेशित किया जाता है कि इस आदेश को जिला स्तर पर विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करेंगे।

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय
समिति, रामगढ ।

जिन्दगी चुनें तम्बाकू नहीं

ज्ञापांक 05 (CS) / रामगढ़ दिनांक 11/01/2019

- प्रतिलिपि : श्री दीपक मिश्रा, कार्यपालक निदेशक, Socio Economic and Educational Development Society (SEEDS) एवं श्री आशीश पाण्डे, तकनीकी सलाहकार The Union, New Delhi को सूचनार्थ प्रेषित ।
- प्रतिलिपि : राज्य नोडल पदाधिकारी, एन0सी0डी0 सेल, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित ।
- प्रतिलिपि : अभियान निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित ।
- प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, स्वा0चि0 एवं शि0 प0क0 विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेषित ।

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय
समिति, रामगढ़ ।

उपायुक्त का कार्यालय(गोपनीय शाखा), रामगढ ।

3

आदेश

धूम्रपान से मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है इसलिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA.2003 के धारा (6) के अनुसार सभी शिक्षण संस्थानों को तम्बाकू मुक्त बनाने के लिए शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद को बेचने वालों पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही विद्यालय के मुख्य द्वार पर तम्बाकू के दुष्प्रभाव से संबंधित पोस्टर, बैनर, फ्लैक्स लगाने एवं दिवार लेखन का निदेश दिया जाता है। जिस का प्रारूप निम्न प्रकार से है :-

60बउग 60 बउ ;15बउ30बउ15बउद

तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान

इस शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद बेचना कानूनी अपराध है, उल्लंघन करने वालों पर 200/-रूपये तक का जुर्माना हो सकता है।

आदेशानुसार
शिक्षण संस्थान के अधिकारी का नाम : _____
शिक्षण संस्थान का नाम : _____

जिला के सभी सरकारी/गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों के प्रधानाध्यापकों को निदेशित किया जाता है कि अपने-अपने शिक्षण संस्थान में उपरोक्त प्रारूप का दिवार लेखन एवं 100 गज के दायरों में किसी भी प्रकार का तम्बाकू उत्पाद की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना सुनिश्चित करें। आदेश का अनुपालन नहीं होने पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है एवं चालान के द्वारा अधिकतम 200 रू० तक दंड का प्रावधान है। साथ में इसकी सूचना प्रत्येक महिने के प्रथम सप्ताह में जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को देना सुनिश्चित करें।

जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि आम जन के बीच तम्बाकू के दूष्परिणामों के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से सभी सरकारी/गैर सरकारी विद्यालयों में तम्बाकू नियंत्रण पर प्रभात-फेरी के

जिन्दगी चुनें तम्बाकू नहीं

माध्यम से जागरूकता अभियान चलाना सुनिश्चित करें। साथ ही प्रत्येक महीने के समीक्षात्मक बैठक में इस तम्बाकू नियंत्रण के तहत की गयी कार्रवाई की समीक्षा करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश तत्कालीक प्रभाव से लागू होगा।

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय
समिति, रामगढ ।

ज्ञापांक 06 (CS) / रामगढ , दिनांक 11/01/2017 .

प्रतिलिपि : जिला शिक्षा पदाधिकारी, रामगढ / सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, रामगढ / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, रामगढ / जिला नोडल पदाधिकारी, तम्बाकू नियंत्रण, कार्यक्रम रामगढ / असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, रामगढ एवं पुलिस अधीक्षक, रामगढ को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, रामगढ को निदेशित किया जाता है कि इस आदेश को जिला स्तर पर विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करेंगे।

तम्बाकू नियंत्रण समन्वय

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय
समिति, रामगढ ।

ज्ञापांक 06 (CS) / रामगढ दिनांक 11/01/2017

प्रतिलिपि : श्री दीपक मिश्रा, कार्यपालक निदेशक, Socio Economic and Educational Development Society (SEEDS) एवं श्री आशीश पाण्डे, तकनीकी सलाहकार The Union, New Delhi को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : राज्य नोडल पदाधिकारी, एन0सी0डी0 सेल, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अभियान निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, स्वा0चि0 एवं शि0 प0क0 विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय
समिति, रामगढ ।

उपायुक्त का कार्यालय(गोपनीय शाखा), रामगढ ।

(3)


आदेश

धूम्रपान से मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है इसलिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के धारा 6 । के अनुसार सभी तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले दूकानों पर यह बोर्ड लगाना अनिवार्य है इस अधिनियम के अन्तर्गत 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को तम्बाकू उत्पाद बेचना या उनके द्वारा तम्बाकू उत्पाद बेचना पूर्णतः प्रतिबंधित है पलैक्स बैनर का प्रारूप निम्नप्रकार से है :-




जिला के सभी तम्बाकू उत्पाद यथा- बिड़ी, सिगरेट, गुटखा, जर्दा एवं अन्य निकोटिनयुक्त पान मसाला तथा अन्य तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों एवं थोक विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि अपने अपने दुकान पर यह बोर्ड लगाना सुनिश्चित करेंगे। आदेश का अनुपालन नहीं होने पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है एवं चालान के द्वारा अधिकतम 200 रू० तक दंड का प्रावधान है।

यह आदेश तत्कालीक प्रभाव से लागू होगा।


उपायुक्त-सह-अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय
समिति, रामगढ ।

प्रतिलिपि : ज्ञापांक...०१(८८)..... / रामगढ , दिनांक...०९/०१/२०१७
उप विकास आयुक्त, रामगढ / निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्व नियोजन, रामगढ / सिविल सर्जन,
रामगढ / जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, रामगढ / अनुमंडल पदाधिकारी, रामगढ
/ सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, रामगढ / जिला शिक्षा पदाधिकारी, रामगढ / सभी
सी०डी०पी०ओ०, रामगढ / श्रम अधीक्षक, रामगढ / पुलिस अधीक्षक, रामगढ को सूचनार्थ एवं
अनुपालनार्थ प्रेषित।


प्रतिलिपि : जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, रामगढ को निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश को जिला स्तर पर
विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करेंगे।


उपायुक्त-सह-अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय
समिति, रामगढ ।

जिन्दगी चुनें तम्बाकू नहीं

ज्ञापांक 01(CS) / रामगढ , दिनांक 09/01/2017

- प्रतिलिपि : श्री दीपक मिश्रा, कार्यपालक निदेशक, Socio Economic and Educational Development Society (SEEDS) एवं श्री आशीश पाण्डे, तकनीकी सलाहकार The Union, New Delhi को सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि : राज्य नोडल पदाधिकारी, एन0सी0डी0 सेल, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि : अभियान निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, स्वा0चि0 एवं शि0 प0क0 विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेषित ।


उपायुक्त-सह-अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय
समिति, रामगढ ।